रखी गयी रेलवे रसीद पुस्तकों में से किसी रेलवे रसीद पुस्तक या उसके किसी पन्ने का खो जाना एक गम्भीर दण्डनीय मामला समझा जाना चाहिए ।

(4) प्रत्येक पुस्तक के प्रत्येक पन्ने पर बीजक पुस्तक की छपाई का महीना और वर्ष निरपवाद रूप से दिखाया जाना चाहिए ।

(5) थ्रू बीजकों को डाक द्वारा भेजने के सम्बन्ध में वर्तमान नियमों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए ।

(6) जब किसी मूल्यवान परेषण अर्थात् कोई परेषण जिसका मूल्य लगभग 1,000 रुपये से अधिक हो की सुपुर्दगी के लिए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मांग की जाए जिसे स्टेशन कर्मचारी न जानते हों तो उसकी सुपुर्दगी उस समय तक न की जाए जब तक कि रेलवे रसीद का थ्रू इनवायस से मिलान न कर लिया जाय । यदि थ्रू इनवायस उपलब्ध न हो तो स्टेशन कर्मचारियों को पार्टी से अनुरोध करना चाहिए कि वह अपनी पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से कराए जिसे स्टेशन के कर्मचारी जानते हों । यदि वह ऐसा करने से मना करे तो सुपुर्दगी केवल तभी की जाए जब स्टेशन मास्टर सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति की सदाशयता से संतुष्ट हो जाए । यदि आवश्यक हो, तो सुपुर्दगी करने से पहले माल के बुकिंग विवरण की पुष्टि के लिए माल भेजने वाले स्टेशन को तात्कालिक टेलीग्राम भेजा जा सकता है ।

(7) स्टेशन मास्टर को ऐसे परेषणों की सुपुर्दगी में होशियार रहना चाहिए जो आम तौर पर उनके स्टेशन पर प्राप्त होने वाले परेषणों की किस्म के न हों ।

(8) पर्यवेक्षण निरीक्षकों के लिए स्टेशनों पर बार-बार जाना, आकस्मिक जांच करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना तथा सही कार्यविधि का अपनाया जाना सुनिश्चित करना अपेक्षित है ।

(9) समय-समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेशों के अनुपालन में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए तथा गलत सुपुर्दगी के मामलों में अप्रमाणिक पार्टियों को परेषणों की सुपुर्दगी में सम्मिलित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तुरन्त ठहरायी जानी चाहिए तथा उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाई की जानी चाहिए ।

Road-Rail Accident between Nagrota Bagwan and Palampur

*639. SHRI DURGA CHAND : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a road-rail accident took place on 9th June, 1977 at Paror-Dhira Naura road between Nagrota Bagwan and Palampur near a rail crossing ;

(b) if so, the details of the accident ;

(c) what compensation has been given to the affected persons ; and

(d) whether the Government propose to put a gate there to prevent recurrence of such accidents in future ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) to (c). On 8-6-1977 a bus dashed against the post of an unmanned level crossing between Nagrota and Palampur stations, resulting in obstruction of the railway track and side collision with approaching train No. 1 PBJ passenger. Six bus passengers sustained only trivial injuries. No compensation is payable in such cases.

(d) No, Sir.

Waiving of Wharfage and Demurrage Charges

*640. SHRI BATESHWAR HEMRAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether cases of indiscriminate waiving of wharfage and demurrage charges by the Commercial Officers of Allahabad Division were reported and investigated by the Vigilance Branch of the Northern Railway during the last five years;

(b) if so, the results thereof; and